भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1146
दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 को उत्तर के लिए

महिला शक्ति केन्द्र

1146. श्री रेवती त्रिपुरा :
श्री अनुराग शर्मा :
श्री बी . वाई . राघवेन्द्र :
श्री वाई . देवेन्द्रप्पा :
डॉ . उमेश जी . जाधव :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कि कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार देश में महिला शक्ति केन्द्र योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रही है और यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ख) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है ;
(ग) क्या सरकार ने इन केन्द्रों की निगरानी के लिए कोई कृतक बल गठित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(घ) क्या इन केन्द्रों में तैनाती में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है ; और
(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) और (ख) : सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में नवंबर, 2017 में महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) स्कीम को मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए बनाई गई स्कीमों और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा प्रदान करना है। यह स्कीम राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के लागत साझाकरण अनुपात के साथ पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों को छोड़कर जहां वित्त पोषण अनुपात 90:10 है, के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केंद्रीय वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। स्कीम के तहत भारत सरकार से आगामी किस्तों को जारी करने की मांग करने से पहले स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य अपने संबंधित हिस्से का योगदान करते हैं। पिछले वर्षों के दौरान स्कीम के तहत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 267.30 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 150.00 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 100.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

(ग) से (ड.) : एमएसके स्कीम राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर अपने संबंधित स्तर पर समीक्षा, निगरानी और समन्वय के लिए कार्य बल उपलब्ध करती है।महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राज्यों/जिलों के दौरों के साथ-साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस और बैठकें करता है।

महिला शक्ति केंद्र के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय महिला केंद्रों में महिला कल्याण अधिकारी और जिला समन्वयक के रूप में काम करने के लिए महिला उम्मीदवारों को वरीयता दी जाती है।

*****